

बिहार सरकार
वित्त विभाग।

प्रेषक,

सुरेन्द्र ठाकुर,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना-800001

पटना, दिनांक :

विषय :- स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के पद पर समान वेतनमान/ग्रेड वेतन 4600/- में प्रोन्नति के उपरांत 03 प्रतिशत् वेतन निर्धारण का लाभ प्रदान करने के संबंध में।

प्रसंग :- प्रधान महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय का पत्रांक-945, दिनांक-28/06/2022

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषयक आपके प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि समान वेतनमान में दो बार वेतन निर्धारण का लाभ दिये जाने का प्रावधान नहीं है।

यह भी स्थापित है कि वरीय/प्रवरण वेतनमान अनुमान्य होने पर कोई निर्धारण लाभ अनुमान्य नहीं किया जाना है।

किन्तु, वरीय/प्रवरण वेतनमान, जहाँ प्रथमतः कोई वेतन निर्धारण लाभ नहीं दिया गया है, के वेतनमान में यदि नियमित प्रोन्नति दी जाती है, तो नियमित प्रोन्नति के फलस्वरूप निर्धारण लाभ अनुमान्य किया जाएगा।

कृपया तदनुसार कार्रवाई की जाय।
अनुलग्नक-(मूल सेवा-पुस्त संलग्न)।

विश्वासभाजन

ह०/-

(सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापक : 3ए-1-मुक०-152/2019-

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना को महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-945, दिनांक-28/06/2022 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित। अपने स्तर से जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा एवं संबंधितों को तदनुसार सूचित किया जाय।

अनु०- यथोक्त।

ह०/-

(सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए-1-मुक०-152/2019-

पटना, दिनांक :

प्रतिलिपि : जिला लेखा पदाधिकारी, नवादा को महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-945, दिनांक-28/06/2022 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित / आई०टी० मैनेजर, वित्त विभाग द्वारा जिला लेखा पदाधिकारी, नवादा के ई-मेल पर भेजने की कार्रवाई की जाय।

अनु०- यथोक्त।

ह०/-

(सुरेन्द्र ठाकुर)

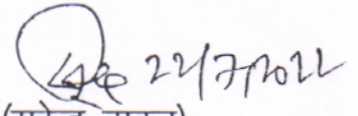
सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक : 3ए-1-मुक०-152/2019-6956

पटना, दिनांक : 25/07/2022

प्रतिलिपि : जिला शिक्षा पदाधिकारी, नवादा को महालेखाकार कार्यालय के पत्रांक-945, दिनांक-28/06/2022 के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

अनु०- यथोक्त।



(सुरेन्द्र ठाकुर)

सरकार के अवर सचिव।